2

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTON 3, SUB-SECTION(II)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION NO. 70 /2013-INCOME TAX

New Delhi, the 18 September, 2013

S.O.__________ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India *vide* number S.O.1386(E), dated the 10th August, 2007, published in the Gazette of India, dated the 10th August, 2007, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the Schedule to the said notification, - (a) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Designation of Income-tax authorities	Head quarter	Territorial areas	Persons or class of persons		Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
"2	Commissioner of Income-tax (TDS)-1, Delhi	New Delhi	Area within the limits of National Capital Territory of Delhi	(a)	Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), whose names start with alphabets A to N, other than Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income Tax (International Taxation).
				(b)	Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	

				(c)	Persons being companies registered under the Companies Act, 1956, and having registered office in the area mentioned in column (4):	
				(d)	Any other person located in the territorial area mentioned in column (4) with name beginning with the alphabet mentioned in column (6)	
2A	Commissioner of Income-tax (TDS)-II Delhi	New Delhi	Area within the limits of National Capital Territory of Delhi	(a)	Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area, mentioned in column (4);	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), whose names start with alphabets O to Z, other than Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 in so far as assigned to Director of Income Tax (International Taxation). "
				(b)	Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	
				(c)	Persons being companies registered under the Companies Act, 1956, and having registered office in the area mentioned in column (4);	

				(d)	Any other person located in the territorial area mentioned in column (4) with name beginning with the alphabet mentioned in column (6).	

(b) the following Note shall be inserted at the end, namely:-

"Note:- 1. 'Alphabet' mentioned in serial no.2 and 2A of the Schedule means the alphabet, with which the first name of the person begins the prefix titles such as Shri, Smt., M/s etc. shall be ignored for this purpose.

2. In the case of officers of Government Ministries, Departments, Organisations, Local bodies, Institutions, the Alphabet with which the name of Ministries, Departments, Organisations, Local bodies, Institutions, as the case may be, begins e.g for Drawing and Disbursement Officers in the Ministry of Defence, Alphabet shall be 'D'."

(F.No.187/04/2012-ITA.I)

(Surabhi Sharma)
Under Secretary(ITA-I)

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide, number S.O. 882(E), dated the 14th September, 2001. which was partially superceded vide notification number S.O. 1386(E), dated the 10th August, 2007 and lastly amended vide number S.O. 1901 (E), dated the 8th November, 2007.

To

The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना सं. 70 /2013 - आयकर

नई दिल्ली, दिनांक: 19 सितम्बर, 2013

का.आ. .... (अ).- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1386 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 2007 में इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता है, अर्थात:-

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, - (क) क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	भौगोलिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी		शक्तियां एवं कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
"2	आयकर आयुक्त (टीडीएस)-1, दिल्ली	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के भीतर क्षेत्र	(क)	कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;	जहां तक कि धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ एवं 197 के अन्तर्गत शक्तियां आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को सौंपी गई हैं, के अलावा कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनके नाम ए से एन अक्षरों से शुरू होते हैं, के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII , और XXIII के अन्तर्गत शक्तियों
				(ख)	कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर है;	

				(ग)	व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है;	एवं कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां एवं कार्य।
				(घ)	कालम (6) में उल्लिखित अक्षर से शुरू होने वाले नाम के साथ कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कोई अन्य व्यक्ति	
2क	आयकर आयुक्त (टीडीएस)-II, दिल्ली	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के भीतर क्षेत्र	(क)	कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;	जहां तक कि धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ एवं 197 के अन्तर्गत शक्तियां आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) को सौंपी गई हैं, के अलावा कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनके नाम ओ से जेड अक्षरों से शुरू होते हैं, के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अन्तर्गत शक्तियों एवं कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कर कटौती अथवा कर संग्रहण से संबधित सभी शक्तियां एवं कार्य।"
				(ख)	कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर है;	
				(ग)	व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है;	
				(घ)	कालम (6) में उल्लिखित अक्षर से शुरू होने वाले नाम के साथ कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कोई अन्य व्यक्ति	

(ख) अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

"टिप्पणी:- 1. अनुसूची के क्रमांक 2 और 2क में उल्लिखित 'अक्षर' का अभिप्राय उन अक्षरों से हैं जिसके साथ व्यक्ति का पहला नाम शुरू होता है, इस प्रयोजनार्थ प्रारंभिक शीर्षक जैसे कि श्री, श्रीमती, सुश्री आदि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

2. सरकारी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, स्थानीय निकायों, संस्थानों के अधिकारियों के मामले में, वह अक्षर जिससे मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, स्थानीय निकायों, संस्थानों, जैसा भी मामला हो, का नाम शुरू होता है, उदाहरणार्थ - रक्षा मंत्रालय में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए अक्षर 'डी' होगा।"

(फा. सं.187/04/2012-आकनि.।)

सुरभि शर्मा

(सुरभि शर्मा)
अवर सचिव (आकनि.।)

टिप्पणी:- प्रमुख अधिसूचना संख्या का.आ. 882(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2001 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 1386(अ), दिनांक 10 अगस्त, 2007 के माध्यम से आंशिक रूप से अधिक्रमित किया गया था तथा आखिरी बार का.आ. 1901(अ), दिनांक 8 नवम्बर, 2007 के तहत संशोधित किया गया था।

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।